# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 587/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1. उस्मान खां उर्फ उमर खां पुत्र श्री लूणे खान<br>2. ईशाख खान पुत्र श्री लूणे खान जातियान मुसलमान, निवासीगण –ग्राम चैनपुरा(पलीना) तहसील फलोदी जिला, जोधपुर। | | 1. ग्रामवासी चैनपुरा(पलीना) जरिये अता मोहम्मद पुत्र श्री सुलेमान खां जाति मुसलमान निवासी– ग्राम चैनपुरा (पलीना) तहसील फलोदी जिला, जोधपुर।<br>2. ग्राम पंचायत पलीना जरिये सरपंच ग्राम पलीना तहसील फलोदी ।<br>3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार फलोदी। |

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 07.06.2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2008 अनवान अता मोहम्मद बनाम उस्मान वगैरा में पारित किया गया।**

उपस्थितिः–

1– श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

### निर्णय

दिनांक 12 मई, 2023

अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की अपील प्रस्तुत की कि ग्राम पलीना के खसरा न0 645 रकबा 50 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न0 632 रकबा 04 बीघा व खसरा न0 644 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा की भूमि लूणेखां पिता आखखां व कादरखां पिता आखखां के नाम वक्त सैटलमेन्ट से सहखातेदारी में दर्ज थी। कादरखां पिता आखखां वक्त सैटलमेन्ट के पश्चात् कादर खां बिना पासपोर्ट व बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये अपने परिवार सहित पाकिस्तान देश चला गया था तथा आज तक वापिस लौटकर नहीं आया। वर्तमान समय में भी देश पाकिस्तान में ही परिवार सहित निवास कर रहा है। लूणेखां पिता आखखां की मृत्यु पश्चात् ग्राम पंचायत पलीना द्वारा कादरखां को भी फौत मानकर नामा0 संख्या 266 दिनांक 22.12.1976 पारित कर दिया गया व सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी। प्रथम अपील के संलग्न अपील प्रस्तुत में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पो0 संख्या 1 ने राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प चैनपुरा में आवेदन प्रस्तुत कर अपीलांट की अनुपस्थिति में गलत तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण करवा लिया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 7.6.2016 के द्वारा नामा0 संख्या 266 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, फलोदी को प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में विधिसम्मत प्रकिया अपनाई जाकर गुणवगुण के

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आधार पर निर्णय पारित करें। जिससे क्षुब्ध होकर निम्न लिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी तथा वाकियाती भूल की है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध सामग्री का कानूनी परिपेक्ष्य में अवलोकन न कर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन के आधार पर ही आदेश पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प चैनपुरा में रखे जाने बाबत जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुयीं और न ही अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुये। इसके बावजूद अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में एवं बिना सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया जबकि न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाना अज्ञापक है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि खेत खसरा संख्या 645 रकबा 50 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न0 632 रकबा 04 बीघा व खसरा न0 644 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 55 बीघा 19 बिस्वा भूमि जो ग्राम पलीना में स्थित है जिनके खातेदार लूणेखां व कादरखां थे। कादरखां लाऔलाद ग्राम पलीना में ही फौत हो गया था। लूणे खां के देहान्त के पश्चात् अपीलांट के नाम नामा0 संख्या 266 दिनांक 22.12.76 को ग्राम पंचायत पलीना में स्वीकृत कर दिया गया जो सही था। कादरखां अलौलाद फौत हो जाने से उसका हिस्सा लूणेखां में निहित हो गया। इसके बावजूद भी रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय को सही तथ्यों से गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे यह प्रकट होता हो कि कादर खां पाकिस्तान चला गया। इसलिये पाकिस्तान जाने बाबत कथन ही अपने आप में गलत प्रमाणित हो जाते है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिन्दू पर तनिक मात्र भी गौर न कर आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने विरासत रिपोर्ट मंगवाने हेतू तहसीलदार, फलौदी को दिनांक 06.02.2012 को आदेश पारित किया था जो लम्बे समय तक भी प्राप्त नहीं हुई। रिपोर्ट न आने का भी कोई कारण नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने आवश्यक मानकर आदेश पारित किया जिसको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पारित आदेश अपास्त किये जाने के योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उपरोक्त समस्त खसरान पर अपीलान्ट काबिज काश्त है तथा उनकी रहवासीय ढाणियां बनी हुयी है जिसमें निवास कर रहे है जिस बाबत आज दिन तक किसी ने आपति नहीं की। यह भी एक कानूनन महत्वपूर्ण बिन्दू है कि नामा0 दिनांक 22.12.1976 को ही स्वीकृत हो गया था जिसके विरूद्ध लगभग 33 साल बाद नामा0 को चुनौती देने का किसी को भी अधिकार नहीं रहता है जबकि अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज हैं। इन तथ्यों का अधिनस्थ न्यायालय ने परिशीलन ही नहीं किया और आदेश पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो0 संख्या 1 को नामान्तकरण संख्या 266 को चुनौति देने का कानूनन कोई अधिकार ही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रन्जिश से प्रेरित होकर गलत तथ्यों के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आधार पर अपील प्रस्तुत की जो सबूत के अभाव में निरस्त किये जाने के योग्य थी। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार फलोदी को प्रति प्रेषित करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के पूर्व पुरूष लूणे खां व कादर खां पिता आखे खां के वक्त सेटलमेंट से खातेदारी में दर्ज होकर आ रही थी तथा लूणे खां एवं कादर खां के फौतदगी नामा0 संख्या 266 दिनांक 22.12.1976 को आम सभा में पटवारी द्वारा जांच कर, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर एवं तस्दीक करके ग्राम पंचायत पलीना आम सभा में पूर्ण जांच कर नामान्तकरण को स्वीकार किया गया था। नामान्तकरण संख्या 266 स्वीकार करने में किसी भी प्रकार से गलती नहीं की नामान्तकरण सही स्वीकार किया गया। जिसमें दुबारा जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है और न ही अधिनस्थ न्यायालय में इसका कोई विवेचन ही किया इसलिये आदेश अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए 33 साल की देरी माफ को किये जाने में कानूनी गलती की है जबकि देरी को माफी किये जाने हेतु कोई पर्याप्त कारण ही नहीं है। इस प्रकार प्रथम अपील मात्र म्याद बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने के योग्य थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलांट उस्मान खां एवं इसाक खां के आपरी रजामंदी के बंटवारा का नामान्तकरण संख्या 359 स्वीकृत किया गया उस वक्त भी पटवारी हल्का, भू0अ0 निरीक्षक तथा तहसीलदार फलोदी ने वक्त बन्दोबस्त से लेकर नामा0 स्वीकृत करने तक सम्पूर्ण जांच कर नामा0 दर्ज किया गया था इस आधार पर भी नामान्तकरण संख्या 266 गलत स्वीकृत नहीं माना जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपींलांट के विरूद्व पूर्व में एक शिकायत सुलेमान ने तहसीलदार फलोदी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसकी तहसीलदार फलोदी ने विस्तृत जांच कर दिनांक 01.05.1989 को गवाहान खेरू खां पुत्र अलारख ख़ां, कायम खां पुत्र मिठू खां, ईशाख पुत्र लूण खां, रहमत खां पुत्र आलम खां, महीदीन खां पुत्र नब्बू खां, फते खां पुत्र महीदीन खां के बयान लेकर सम्पूर्ण जांच की और तस्दीक की थी जिसमें भी कादर खां पुत्र आखखां भारत में रह रहा तथा चैनपुरा (पलीना) तहसील फलोदी में ही उसकी मृत्यु हुई जिसकी तस्दीक तहसीलदार,फलोदी स्वयं ने की थी उस समय भी शिकायतकर्ता सुलेमान था जो वर्तमान में अता मोहम्मद की तरह हर किसी की शिकायत करता है तथा उन्हें ब्लेकमेल कर रूपये लूटता है। पूर्व में सम्पूर्ण जांच की जा चुकी है अब कोई जांच करना शेष नहीं रहा है यह पूर्ण रूप से सत्यापित हो चुका है कि कादर खां का लाऔलाद ग्राम चैनपुरा(पलीना) तहसील फलोदी में देहान्त हो चुका है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 अता मोहम्मद को अपील प्रस्तुत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि उक्त अता मोहम्मद को उक्त कृषि भूमि से किसी प्रकार से अधिकारों की क्षति नहीं हो रहीं है तथा न ही अता मोहम्मद को उक्त कृषि भूमि से नुकसान हो रहा है। मात्र अपीलांट को हैरान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त * जोधपुर *

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

शिकायतकर्ता है तथा ग्राम पंचायत के चुनावों के कारण अपीलांट से अदावती एवं दुश्मनी रखता है। इस कारण अपीलांट की झुटी शिकायत की है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। रेस्पो0 संख्या 1 अता मोहम्मद को नामान्तकरण संख्या 266 स्वीकृत दिनांक 22.12.1976 की प्रथम बार जानकारी कब ओर किस आधार पर हुई तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रथम जानकारी दिनांक 30.05.2008 को होना बताया है जबकि 32 वर्ष तक के विलम्ब बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा यह बताया कि उक्त भूमि पशुओं को चराने के लिए काम आ रहीं है जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर अपीलांट का रहवासीय मकान है तथा तारबन्दी की हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस विलम्ब बाबत एक–एक दिन की देरी का स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में देना चाहिए जो नहीं दिया गया तथा मौके की स्थिति जो रेस्पोडेन्ट बता रहा है और जो मौका रिपोर्ट मे आई उसमें विरोधाभास है। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट के कथन असत्य साबित होते है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया, सुनवाई का अवसर नहीं देकर बाले बाले अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो ग्राम पंचायत की मिली भगत से राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो इस आधार पर निरस्तनीय है। रेस्पो0 सं0 1 अता मोहम्मद को उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 की भूमि के बाबत किसी प्रकार का कोई हक अधिकार, हित निहित नहीं होने से अपीलान्ट के हको के विरूद्व किसी प्रकार की मांग करने व आदेश पारित करवाने का कोई अधिकार नहीं है, रेस्पो0 सं0 1 केवल मात्र आदतन शिकायतकर्ता है जो बिना किसी आधार पर शिकायत कर आमजन एवं अपीलांट व अन्य को परेशान करता रहता है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, फलौदी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 06/2016 अतामोहम्मद बनाम उस्मान खॉ वगैराह दर्ज किया तथा प्रकिया शुरू की गई थी तथा तहसीलदार फलौदी के द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई थी और मौतबरान की उपस्थिति मे मौका फर्द तैयार की गई थी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.06.2016 अपास्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 266 स्वीकृत दिनांक 22.12.1976 को पुनः बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत की यथा 2013 आरबीजे पेज 01, 2021 आरआरटी पेज 19, 2002 आरबीजे पेज 592, 1989 आरआरडी पेज 564, 2011 एआईआर पेज 1237, 2009 आरआरडी पेज 488, 1999 आरआरडी पेज 389, 1993 आरआडी पेज 44, 1993 पेज 232 इत्यादि।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनकी ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पलीना के ख0सं0 645 रकबा 50.06 बीघा, ख0सं0 632 रकबा 04 बीघा व ख0सं0 644 रकबा 01.13 बीघ कुल 55 बीघा 19

सहखातेदारी में दर्ज थी। कादरखॉ सेटलमेन्ट के पश्चात बिना पासपोर्ट व राक्षग अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपने परिवार सहित पाकिस्तान देश चला गया था और वापस लौटकर नहीं आया है। कादरखॉ के पाकिस्तान चले जाने के उपरान्त कादरखॉ के हक–हिस्से की भूमि का गांव वालो द्वारा पशु चराने जनउपयोग के लिये प्रयोग की जाने लगी तथा वर्तमान में लगातार प्रयोग में ली जा रही है। लूणेखॉ की मृत्यु हो जाने पर ग्राम पंचायत पलीना द्वारा कादरखॉ को भी फोत हुआ मानकर नामा0 संख्या 266 दिनांक 22.12.76 को स्वीकृत कर उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि अपीलान्टस के नाम दर्ज कर दी, जिसके विरूद्ध रेस्पो0 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के अपील प्रस्तुत करते हुए यह भी कथन किया था कि ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। जबकि राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी खातेदार द्वारा बिना पासपोर्ट व विधिक अनुमति के बिना भारत छोडकर विदेश चल जाने पर उसकी खातेदारी वांली भूमि का खातेदारी अधिकारों का विलोप हो जाता है और खातेदारी अधिकारी का विलोप हो जाने पर पूर्व खातेदार की भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो जाती है। इस कारण कादर खॉ की खातेदार भूमि बाबत ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामा0 निरस्त करने योग्य ही था।

रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया अपीलान्ट संख्या 1 व 2 विधिक रूप से कादरखॉ के शरीयत विधि के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी नहीं होने से आलौच्य नामा0 उनके पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार व भूमिधारी द्वारा उपरोक्त आलौच्य आदेश के सम्बन्ध में विधिक रूप से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये पक्षकार होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस कारण से रेस्पोडेन्ट को उक्त अपील पेश करनी पडी। रेस्पोडेन्ट एवं अन्य ग्रामवासियों के द्वारा इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय व भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथा उपरोक्त नामा0 व विवादित भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर रेस्पो0 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भूमिधारी तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.5.2008 को मौखिक रूप से इस प्रकार की कार्यवाही करने से इन्कार दिया तब उसके द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 266 स्वीकृत दिनांक 22.12.1976 की नकल प्राप्त करते हुए अपील प्रस्तुत की गई एवं उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी नहीं करने का कथन करते हुए अपील को अन्दर म्याद माना जाकर देरी को माफ किये जाने का निवेदन किया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील विलम्ब प्रस्तुत करने के कारणों से सहमत होते हुए देरी को कण्डोन किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने नामा0 संख्या 266 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, फलौदी को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण में विधिसम्मत प्रकिया अपनाई जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जावें।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो पूर्ण रूप से उचित है

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 07.06.2016 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7.6.2016 को राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार शिविर में वर्तमान अपीलान्ट की गैरमौजूदगी में एकतरफा कार्यवाही करते हुए वर्ष 1976 (लगभग 40 वर्ष) के नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया, जो लोक अदालत की भावना के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 7.6.2016 को पारित आदेश तथ्यविहिन, दस्तावेज व ठोस प्रमाण के अभाव में पारित किया जाना पाया गया है। श्री कादर खॉ के पाकिस्तान जाने अथवा ग्राम पलीना में जीवनपर्यनत निवासरत नहीं होने सम्बन्धी कोई प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके विपरित नायब तहसीलदार फलौदी के समक्ष वर्ष 1989 में खेरू खॉ, कायमखॉ, रहमत खॉ, फते खॉ, महीदीन खॉ वगैराह द्वारा श्री कादर खॉ के ग्राम पलीना (चैनपुरा) में निवासरत होने, शादीशुदा न होने व देहान्त पलीना में ही होना प्रतिवेदित किया है।

दिनांक 27.12.1976 की फौतेदगी नामान्तरकरण भरे जाने के पश्चात वर्ष 2006 में तहसीलदार फलौदी द्वारा बाद जॉच बंटवाड़ा का नामान्तरकरण भी पारित किया गया, अपीलान्ट द्वारा उक्त खातेदारी भूमि पर लम्बे समय से कब्जा काश्त, रहवासी ढाणी व टांका होना प्रतिवेदित किया है, साथ ही रेस्पोडेन्टस अता मोहम्मद वगैराह से ग्राम पंचायत स्तरीय रंजीश/अदावत को अधीनस्थ न्यायालय में अपील किये जाने की मुख्य वजह बताया है।

फौतेदगी नामान्तरकरण दिनांक 27.12.1976 को स्वीकृत होने के पश्चात नामान्तरकरण की अपील दिनांक 7.6.2008 को यानि 32 साल के विलम्ब से की गई है। 32 साल के विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस, विश्वसनीय व "Sufficient Cause" पत्रावली पर नहीं पाया गया है। मात्र काल्पनिक तथ्यों का सहारा लेकर Delay Condone किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना परिलक्षित हुआ है। इस सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर